संलग्नक-6

संख्या– 1245 बी/क0नि0–6–2017

शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक

अमृत त्रिपाठी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/ आई0टी0 इलेक्ट्रॉनिक्स/ राजस्व/कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2017

विषय –फसल ऋण मोचन योजना" के कियान्वयन हेतु द्वितीय चरण की संशोधित समय–सारिणी

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3218/ 12–2–2017– 60 (6) /2017 टीसी–11 दिनांक 02 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के कियान्वयन हेतु द्वितीय चरण की कार्यवाही सम्पादित किए जाने के कम में समय–सारिणी प्रसारित की गयी थी। उक्त समय–सारिणी में विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिए पूर्व निर्धारित समयावधि बढ़ाये जाने हेतु कतिपय जनपदों द्वारा अनुरोध किया गया है।

दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को एनआईसी के साथ फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत द्वितीय चरण की कार्यवाही की प्रगति–समीक्षा में आधार सीडिंग एवं भूलेख मैपिंग की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पाई गयी है।

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व निर्धारित समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:–

क0	कार्यवाही	पूर्व निर्धारित समयावधि	नवीन समयावधि
1	प्रथम चरण में अवशेष डाटा की आधार सीडिंग तथा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही	29 अगस्त से 09 सितम्बर, 2017	29 अगस्त से 15 सितम्बर, 2017
2	प्रथम चरण में अवशेष डाटा की भू–लेख मैपिंग	29 अगस्त से 09 सितम्बर, 2017	29 अगस्त से 15 सितम्बर, 2017
3	दिनांक 29 अगस्त, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 के मध्य मैप किए गए डाटा राज्य स्तर पर वैलिडेशन चेक	10–12 सितम्बर, 2017	15–17 सितम्बर, 2017
4	जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा सत्यापन पूर्ण कर अर्ह किसानों की सूची डिजिटली लॉक करना	13–19 सितम्बर, 2017	15–18 सितम्बर, 2017

5	कृषि निदेशालय द्वारा धनराशि का बैंकों को हस्तांरण	19—21 सितम्बर, 2017	19—22 सितम्बर, 2017
6	बैंकों द्वारा ऋणी खाते में धनराशि हस्तान्तरण एवं उक्त विषयगत प्रमाण पत्र पर कृषि विभाग को उपलब्ध कराना	22—24 सितम्बर, 2017	23—27 सितम्बर, 2017
7	कैम्पों का आयोजन	24—27 सितम्बर, 2017	3—5 अक्टूबर, 2017

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अब उक्त समय—सारिणी में संशोधन हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अमृत त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या— 1245 (1) बी / क0नि0—6—2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, संस्थागत वित्त, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

(राजेन्द्र सिंह मौर्या)
उप सचिव।